रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री राजकुमार चौहान, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/79/2022
दावा पंजीकरण तिथि : 13-07-2022
आदेशार्थ रखने की तिथि : 12th March, 2024
आदेश तिथि : 13th March, 2024

1) *जाबिर पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन,*
2) *मुशाहीद पुत्र श्री जाबिर हुसैन,*
निवासी–मकान नंबर 55 ,अलीगंज, वीटीसी, हुजूर, भोपाल.
3) *श्रीमती फातेमा पत्नी श्री हातिम अली,*
पुत्री श्री जाबिर हुसैन,
निवासी–मकान नंबर 12, वार्ड नंबर–12,
ताल बोहरा गली, ताल, रतलाम (म0प्र0) ....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, इलाहाबाद (उ0प्र0) ....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आशिक मोहम्मद खान, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री ओमशंकर श्रीवास्तव, रेस्पांडेन्ट के अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपनी पत्नी/माता मृतका *श्रीमती मुनीरा बानो उर्फ फीरोजा पत्नी श्री जाबिर* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन में कथन किया है कि *55* वर्षीया मृतका गृहिणी थी एवं दिनांक *10-03-2022* को वह अपनी पुत्री (आवेदक कमांक–3), दामाद एवं अबोध नवासी–सारा जो कि न देख सकती थी, न बोल सकती थी, न ही सुन सकती थी एवं न ही चल सकती थी, को बुरहानपुर जाने के लिए भोपाल स्टेशन पर कर्नाटका एक्सप्रेस में छोड़ने के लिए आयी थी एवं इसके लिए दो प्लेटफार्म टिकट क्रमांक–ALA 48648905 & 906 दिनांक *10-03-2022* समय 06:08 बजे लेकर प्लेटफार्म पर आयी थी तथा उस दिन कर्नाटका एक्सप्रेस आने के बाद डिस्पले स्टार्ट हुए थे, इसी अफरातफरी में बोगी नंबर एस–4 की बोगी कमांक–52 एवं 56 तक पहुँचने में समय लगा. मृतका द्वारा अपनी नवासी को बोगी में बैठाया और ट्रेन के दरवाजे के पास आई तभी ट्रेन चल दी. मृतका के पति अर्थात् आवेदक कमांक–1 ट्रेन से उतर गया किन्तु मृतका के ट्रेन से उतरते समय

निरंतर..........2/पर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
सहायक पंजीयक
रेलवे दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल
Sd

पैर फिसल जाने से मृतका ट्रेन से गिर गई और दाहिना पैर प्लेटफार्म एवं ट्रेन के बीच आ जाने से दाहिना पैर एड़ी से कट गया और अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो गया. मौके पर पुलिस द्वारा 108 एम्बूलेन्स बुलाकर घायल मृतका को हमीदिया अस्पताल पहुँचाया, किन्तु संभवतः रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई. जीआरपी, भोपाल द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या09/22 पर पंजीबध्द कर आगे की कार्यवाही सम्पन्न की. मृतका की बेटी एवं दामाद एवं नवासी कर्नाटका एक्सप्रेस में भोपाल से बुरहानपुर तक की यात्रा कर रहे थे एवं मृतका उन्हें भोपाल रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में अपनी पत्नी एवं माता की मृत्यु हो जाने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आवेदकों हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने जवाबदावे में दावे का पूरजोर विरोध करते हुए यह कहा है कि मृतका अपने पति के साथ अपनी पुत्री–दामाद को गाड़ी संख्या–12628 नईदिल्ली–बैंगलौर कर्नाटका एकसप्रेस पर आई थी एवं उसके पास प्लेटफार्म टिकट था, जो कि बोगी में प्रवेश करने हेतु वैध नहीं था फिर भी मृतका बोगी के अंदर गई और चलती ट्रेन से उतरने के दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गई. घटना का चश्मदीद गवाह स्वयं आवेदक कमांक–1 है. आवेदकों ने अपने दावा आवेदन में भी प्लेटफार्म टिकट का ही उल्लेख किया गया है जो कि *para 302 (c) of the Indian Railway Commercial Manual (revised) Vol-I issued by Govt. of India Ministry of Railway* के अनुसार ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैध नहीं है. वहीं वैधानिक तरीके से की गई जॉच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भी दावे का विरोध करते हुए यही दोहराया है कि गाड़ी का भोपाल के प्लेटफार्म कमांक–1 पर समय 06–41 बजे आगमन होने पर मृतका अपनी पुत्री–दामाद एवं नवासी को बैठाने के लिए कोच संख्या एस–4 के अंदर प्रवेश किया और समय 06–46 बजे गाड़ी के स्टार्ट हो जाने के बाद चलती गाड़ी में से लापरवाहीपूर्वक उतरने के दौरान गाड़ी से नीचे गिरने से दाहिना पैर कट जाने से उपचार के दौरान मृत हुई है एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी–मृतका के पति के कथन से स्पष्ट है कि मृतका की स्वयं की गलती से यह हादसा हुआ है जो कि स्वयं के आपराधिक कृत्य से स्व–अधिरोपित चोट की घटना है तथा प्लेटफार्म टिकट ट्रेन में सवार होने के लिए वैध नहीं होने से घटना रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 123 (सी) (2) सहपठित सेक्शन–124 ए के अधीन नहीं आने से मुआवजा देने के अपने दायित्व से साफ तौर पर इनकार किया है एवं इसी आधार पर दावा आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

निरंतर............3/पर

Sd/-

3) *Whether the Respondent railway administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से मौखिक साक्षी के तौर पर स्वयं आवेदक कमांक–1 ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ–साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-15* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए तत्समय भोपाल स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मैनेजर के तौर पर कार्यरत् श्री जावेद अंसारी को शपथपत्र *(CRW/1)* के उपस्थित कराया है. पक्ष–विपक्ष के दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. आवेदक की ओर से अपने दावे के समर्थन में माननीय मद्रास हाईकोर्ट ***(CMA NO. 561 of 2014 and MP No. 1 of 2014 between UoI, owning Southern Railway, Madras and V.Pandiyammal, dtd. 20-12-2018)*** एवं रेल दावा अधिकरण की चैन्नेई पीठ ***(OA(IIU) 166/2017, decided on 13-02-2018)***के न्यायसिध्दान्त को रैफर किया गया है.

6. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रैफर किये गये माननीय मद्रास हाईकोर्ट तथा रेदाअ/चैन्नईपीठ के न्यायसिध्दान्तों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1 एवं 2 :

7. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. दावा आवेदन में किये गये अभिकथनों को ही साक्षी *(AW/1)* के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित आवेदक ने सशपथ दोहराया है एवं अपने प्रति–परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह पढ़ा–लिखा है एवं उसे इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि प्लेटफार्म टिकट लेकर ट्रेन के कम्पार्टमेन्ट में नहीं चढ़ना चाहिए, मृतका एवं वह अपनी बेटी–दामाद को ट्रेन में छोड़ने के लिए गये थे, वह और मृतका दोनों ही कम्पार्टमेन्ट में चढ़ गये थे एवं ट्रेन जब चलने लगी तब उतरते समय यह घटना घटित हुई थी, साक्षी पहले उतर गया था एवं इसके पीछे मृतका उतरते समय यह घटना घटित हुई थी.

8. दूसरी ओर *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई रेस्पांडेन्ट की जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त

निरंतर........4/पर

Sd

मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार रेस्पांडेन्ट ने भोपाल स्टेशन पर घटित उक्त घटना को स्वीकार करते हुए यही कहा है कि स्वयं मृतका के पति ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वे अपनी बेटी–दामाद एवं नवासी को छोड़ने के लिए भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक–1 पर प्रविष्ट हुए थे, उन्हें यात्रा नहीं करनी थी एवं उनके पास ए–9 पर पेश किये गये प्लेटफार्म टिकट थे एवं वे अपनी नवासी को कोच के अंदर छोड़ने के लिए गये थे एवं ट्रेन स्टार्ट हो जाने पर वह पहले उतरा और मृतका उतरते समय वह नीचे गिर गई. इस प्रकार घटना के समय मृतका बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं थी, क्योंकि *para 302 (c) of the Indian Railway Commercial Manual (revised) Vol-I issued by Govt. of India Ministry of Railway* के अनुसार प्लेटफार्म टिकटधारी यात्रियों को वहन करने वाले ट्रेन/कोच में प्रवेश नहीं किया जा सकता. रेस्पांडेन्ट की ओर से उपस्थित साक्षी– *CRW/1* ने भी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर आवेदकों का यह आरोप झुठलाया है कि डिस्प्ले लेट स्टार्ट हुए थे, एवं डिस्प्ले की वजह से स्टेशन में कर्नाटका एक्सप्रेस के यात्रियों में अफरातफरी थी. चूँकि मृतका स्टार्ट हो चुकी गाड़ी से उतर रही थी, जबकि उसे यात्रा भी नहीं करनी थी, फिर भी वह कोच के अंदर प्रविष्ट हुई और गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद चलती गाड़ी से उतरने के दौरान यह घटना घटित हुई है एवं मृतका का यह कृत्य निश्चित तौर पर रेलवे एक्ट, 1089 के सेक्शन 124 के अपवादों के अधीन ''स्वयं के आपराधिक कृत्य'' से ''स्व–अधिरोपित चोट'' की घटना है, एवं प्लेटफार्म टिकट होने के बावजूद वह कोच में प्रविष्ठ हुई थी, अतः प्लेटफार्म टिकट धारी होने से उसे इस घटना के लिए बोनाफाइड पैसेन्जर भी नहीं माना जा सकता. अतः आवेदकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने हेतु रेस्पांडेन्ट दायी नहीं है.

9. रेस्पांडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकों की ओर से पेश किये गये तर्कों का विरोध करते हुए यह दलील पेश की है कि स्वयं आवेदकों एवं उसके साक्षी, दोनों ही ने यह स्वीकार किया है कि मृतका को कोई भी यात्रा नहीं करनी थी एवं वह केवल अपनी बेटी–दामाद को स्टेशन पर छोड़ने आई थी, अतः वह किसी भी ट्रेन में सवार नहीं हो सकती है. इस सम्बन्ध में रेस्पांडेन्ट की ओर से *GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) INDIAN RAILWAY COMMERCIAL MANUAL VOLUME-I CHAPTER-III (ADMISSION TO PLATFORMS AND CARRIAGE OF PASSENGER)* पेश करते हुये उसके अधिवक्ता द्वारा यह कहा है कि प्लेटफार्म टिकटधारी को केवल प्लेटफार्म में प्रवेश करने और अपने रिश्तेदार को ट्रेन तक छोड़ने के लिये जिस रास्ते से ट्रेन तक पहुँचना है, उन रास्तों से जाने के लिये अनुमति देता हैं, लेकिन किसी ट्रेन के अंदर प्रवेश करने, सवार होने या अन्य ट्रेन सर्विस के उपयोग के लिये वैध नही हैं.

10. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों तथा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं पक्षों के दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश किये गये तर्क–प्रतितर्को एवं प्रस्तुत माननीय मद्रास हाईकोर्ट तथा रेदाअ/चैन्नई पीठ के न्यायसिध्दान्तों का गहनता से परिशीलन किया गया.

निरंतर.........5/पर

Sd

प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि घटना के समय मृतका के पास वैध प्लेटफार्म टिकट था, वह अपनी पुत्री, दामाद एवं अबोध नवासी–सारा जो कि मूक–बधीर होकर चलने में भी अक्षम थी, को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आई थी एवं उनको सीट तक छोड़ने के लिए गई थी, अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाने से वह उतरने के दौरान पैर फिसल जाने से नीचे गिर गई और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई थी. माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने अपने प्रकरण हाईकोर्ट ***(CMA NO. 561 of 2014 and MP No. 1 of 2014 between UoI, owning Southern Railway, Madras and V.Pandiyammal, dtd. 20-12-2018)*** के पैरा–9 एवं 10 में उल्लेखित अनुसार कि The train in which the brother of the deceased travelled was not identified and even AW-2 in the cross-examination has deposed that he was not aware of the name and number of the train. According to him, he had boarded the train at about 05.25 a.m. It is a common practice, that the persons going for a long distance come and stay in the platform in the night and there are many trains pass through Tiruppur during the wee hours and the brother of the deceased had travelled in the train around 05.30 a.m. The Tribunal has also taken into consideration the possibility of the expected train coming late and accordingly the same cannot be ruled out and the brother of the deceased getting into the train at around 5.30 hours eventhough he entered into the railway station at around 1.30 hours. The arguments put forth by the Railway was negatived by the Tribunal stating that untoward incident has taken place and the deceased has to be taken as a bonafide passenger as per the rules. It is a common knowledge and it happens that when a person, who are new to travelling, in train, the other persons can help him in settling down and they buy a platform ticket. Accordingly the deceased also has come to the station and left his brother in a Chennai train. *The Tribunal has a presumption that the train, in which the deceased met with his fate, had only a stoppage for a few minutes. Hence under Section 124-A of the Railways Act, 1989 which clearly stipulates that 'passenger' includes a person who has purchased a valid platform ticket on any date and becomes a victim of an untoward incident, the rule quoted by the learned counsel becomes redundant.*

10.As per the report of the inquest officer in their investigation report, it is clear that while the deceased was detraining from the coach, the train had started to move and the deceased had fallen down from the said train and died at the spot, hence, the contention of the Railway that the deceased sustained self inflicted injury, cannot be accepted. When the act of the deceased cannot be termed as a self-inflicted injury and carelessness cannot be attributed on the part of the deceased and Section 124 lays down the theory of strict liability or no fault liability in case of Railway accidents and if a case comes within the purview of Section 124-A, it is wholly irrelevant as to who was at fault. The Tribunal has rightly held in favour of the claimant by holding that there was an untoward incident as defined under Section 123(c)(2) of the Railways Act, 1989 के साथ–साथ माननीय रेल दावा अधिकरण की चैन्नई पीठ द्वारा अपने निर्णय के **पैरा 6.3** में ***INDIAN RAILWAY COMMERCIAL MANUAL VOLUME-I*** के

> पैरा–***326 (Guard's certificate of permission to travel : The 'Certificate of permission to travel' is issued in the following cases by Guards/Conductors and other categories of staff on duty as notified by the railways, to passengers who apply for such permission before incurring the charge, on the condition that the passenger will subsequently pay the fare and any excess charge due:***
>
> ***(i) when a passenger owing to want of time is unable to purchase a ticket; Guard's Certificates will be issued in such cases at stations where platform tickets are issued, only on production of valid platform tickets; (emphasis supplied)***

निरंतर.............6/पर

Sd

" From this is is clear that even a platform ticket holder is also permitted to travel in exigencies. It is also to be considered that it is part of our culture, which can be seen in every Railway station, to visit Railways Station to see off one's kith and kin whenever they travel by train and to assist them to board the train and settle down and also help them with their luggage, especially when the passenger is a senior citizen or a lady, and also to remain in the station till the last coach of the train passes "

चूँकि इस प्रकरण में भी मृतका की पुत्री यात्रा कर रही थी और साथ में उसकी मूक–बधीर और चलने–फिरने में अक्षम अबोध पुत्री भी थी, इसलिए मृतका के अपनी पुत्री एवं नवासी को उसके आरक्षित सीट तक उसे पहुँचाने हेतु मदद करने का यह विचार स्वाभाविक ही है एवं कहीं से भी उसका प्लेटफार्म टिकट लेकर यात्रा करने का कोई विचार भी नहीं था, तथा जब वह उतर रही थी, तब अचानक ट्रेन चल देने से एवं पहले मृतका का पति उतरने की वजह से मृतका उतरते समय दुर्घटना का शिकार हो गई जिसे रेस्पांडेन्ट ने भी अपनी डीआरएम रिपोर्ट में माना है.

11. इस प्रकार इस प्रकरण के तथ्य भी उपर्युक्त विवेचित माननीय हाईकोर्ट एवं रेदाअ/चैन्नई पीठ के प्रकरणों से मेल खाते हैं, जब मृतका अपनी पुत्री–दामाद एवं अबोध मूक–बधीर तथा चलने–फिरने में असमर्थ नवासी को छोड़ने के लिए भोपाल स्टेशन पर आई थी एवं पुत्री की आरक्षित सीट तक मृतका के पति सामान तो मृतका गोदी में स्थित नवासी को देने के लिए कुछ ही क्षणों के लिए कोच के अंदर सवार हुई थी, अतः प्लेटफार्म टिकट के आधार पर उसका यात्रा हेतु कोई विचार भी नहीं था इसलिए जब ट्रेन के चल दी तो वह उतरने लगी एवं इसी प्रयास में उतरते समय दुर्घटनापूर्वक नीचे गिर कर घायल हो गई जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई. रेस्पांडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा *INDIAN RAILWAY COMMERCIAL MANUAL VOLUME-I CHAPTER-III (ADMISSION TO PLATFORMS AND CARRIAGE OF PASSENGER)* के 302 (c) जिसमें यह कहा गया है कि A platform ticket or platform pass/permit does not entitle the holder to remain in any carriage or compartment का जो तर्क दिया गया है, उससे यह साबित नहीं होता है कि प्लेटफार्म टिकटधारी को कोच में चढ़ने की अनुमति नहीं है, अतः यह तर्क खारिज किया जाता है.

12. जहॉ तक रेस्पांडेन्ट की यह दलील की मृतका का यह कृत्य "सेल्फ–इन्फ्लेक्टेड इंजूरी" के अधीन ही आता है तो इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ पीठ द्वारा अपने प्रकरण संख्या–FAO No.5562 of 2023 (O&M) Date of Decision: 12.01.2024 Union of India vs Pooja Rani and others के पैरा–4 एवं 5 में यही प्रतिपादित कर दिया है कि

> **4.** he sole contention, as raised by learned Senior Panel counsel for the appellant in the present appeal, is that the occurrence/incident in question had taken place due to the negligence on the part of the deceased as he had tried to de-board the slow moving Train and hence, the injuries sustained by him in this incident, which resulted into his death, were 'SelfInflicted Injuries', as envisaged under proviso (b), appended to Section 124-A of the Railways Act, 1989 (for short 'the Act of 1989') and in these circumstances, it is explicit that the appellant could not have been saddled with the liability to pay any compensation to the respondents.

निरंतर............7/पर

Sd

> **5.** However, the afore-raised contention is devoid of any merit because even if for the sake of arguments, it is presumed that the deceased had suffered the injuries due to his own negligence, i.e by his having fallen down while allegedly trying to de-board the slow moving Train, even then, these injuries cannot be termed as 'Self-Inflicted Injuries' as contemplated under proviso (b) to Section 124-A of the Act of 1989, so as to disentitle the respondents from seeking compensation, because Hon'ble the Supreme Court has made categoric observations in Union of India versus Rina Devi, Civil Appeal No .4945 of 2018 decided on 09.05.2018 to the effect that "the death or injury in the course of boarding or de-boarding a Train would be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124-A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor". The present case is squarely covered by these observations and in the light thereof, it is held that the respondents are entitled to and have rightly been granted the compensation.

13. अतः परिस्थितिजन्य हालातों, प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं माननीय मद्रास हाईकोर्ट/पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा रेदाअ/चैन्नई पीठ के न्यायसिध्दान्तों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यही अवधारित करता हूँ कि *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* में वर्णित यात्री के तौर पर ही घटना के समय मृतका की प्रस्थिति थी तथा उसके साथ जो घटना घटित हुई थी, वह भी निश्चित तौर पर *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* में अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अन्तर्गत ही समाहित होती है. इस प्रकार आवेदकों द्वारा साबित कर दिये जाने से मैं रेस्पांडेन्ट की दी गई दलीलों को खारिज करते हुए दोनों ही इश्यूज का विनिश्चय आवेदकों के पक्ष में ही करता हूँ.

<u>इश्यूज कमांक–3</u> :

14. घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पूख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

<u>इश्यूज कमांक–4 एवं 5</u> :

15. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतका पत्नी/माता के पति एवं संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से मृतका का आधारकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक पासबुक तथा रॉशनकार्ड *(A-12 to 15)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. साक्षी के तौर पर मृतका के पति द्वारा कोर्ट के सम्मुख सशपथ कथन किया है कि मृतका उसकी पत्नी एवं आवेदक कमांक–2 एवं 3 की माता थी. इस प्रकार

निरंतर..........8/पर

Sd/

मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B) (i)* के अधीन सभी आवेदक मृतका के पति एवं संतान के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं.

16. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *10-03-2022* से भुगतान तिथि तक *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

18. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनु पातिक ब्याज)
1)	JABIR	पति	70	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	MUSHAHID HUSSAIN	पुत्र	37	2,00,000/-	20,000/-	1,80,000/-
3)	Smt. FATEMA	पुत्री	32	2,00,000/-	20,000/-	1,80,000/-

19. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *10-03-2022* से भुगतान तिथि तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

20. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :–

(1) उक्त तालिका के कमांक–1 अर्थात् मृतका के पति को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 40,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकता है एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 3,60,000/- को 30 माह की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज लाभार्थी मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार अर्जित करता रहेगा,

निरंतर.............9/पर

Sd

(2) उक्त तालिका के क्रमांक–2 एवं 3 अर्थात् मृतक की संतान को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात् 20-20 हजार एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकते हैं, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 180000-180000/- को 60 माह की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा, जिस पर अर्जित ब्याज सम्बन्धित लाभार्थी मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित करते रहेंगे.

21. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

22. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

23. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

24. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

25. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

26. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

27. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

निरंतर..........10/पर

Sd

28. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

29. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* 10064520760 *IFSC Code :* SBIN0005798 *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

30. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

31. लाभार्थी 15G or 15H (for senior citizen) (as applicable under sub section (2) of section 19 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

32. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तो की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

33. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

34. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

35. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

36. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

37. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

38. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

39. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के

शेष.........11/पर

Sd

पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि0 जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

40. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

41. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

42. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

43. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/-

(राजकुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 13th March, 2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

Sd/-

(राजकुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ